न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती।

व्यवहार अपील संख्या–06/2015

राजा चन्द्रमणि कान्त सिंह बनाम गुलाम मोहम्मद आदि

दिनांक 03-07-2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकारा गया। वादी की ओर से पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि दिनांक–12–12–2023 को यह आदेश किया गया था कि "अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि पूर्व आदेश के प्रकाश में प्रत्यर्थी संख्या–6 व 7 पर नोटिस का प्रकाशन अखबार में 10 दिन के अन्दर कराया जाये।" परन्तु उक्त आदेश का पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया है। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में पैरवी के अभाव में अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती।